

FORM-1
(for linear projects)
Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, SIKAR

No./Rev/2017/ 2809-10

Dated 25/7/17

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

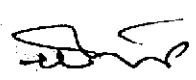
To,
✓ P.D.-II (PPP), Jaipur
PWD, Rajasthan

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects, it is certified that total **9.65** Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **PWD, Rajasthan** for Improvement, Strengthening and widening of Tarnau-Deedawana-Laxmangarh-Mukundgarh Highway section of SH-60, SH-20, SH-83, SH-82A & SH-8 (Proposed for Diversion of forest Land) in Sikar District having notified forest Khasras in village Chhota Bhuma Khasra No. 200/2, area 4.325ha. Beed Laxmangarh Khasra No. 1398/1094 area 3.9 ha. and village Balaran Khasra No. 180/1/1 area 1.425 ha. in **Laxmangarh tehsil**.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire 9.65 Hectares of forest area proposed for diversion in village Bhuma Chhota, Beed Laxmangarh and village Balaran. A copy of records of all consultation and meeting of forest rights committee(s). Gram sabha(s), Sub-Division level Committee(s) and the District level committee are enclosed annexure A to annexure B.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabha(s) have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribes Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As Above


(Naresh Kumar Thakral)
District Collector
Sikar

Date :

No./Rev/2017/
Copy forwarded to :
D.C.F Sikar for N.A


District Collector, Sikar

F:/ mahendra / letter 2

राजस्थान सरकार

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति (उपखण्ड अधिकारी) लक्ष्मणगढ़, जिला-सीकर
क्रमांक:- भूमि अवा./पी.पी.पी.मोड/2017/ 166-67 दिनांक:- 21/07/17

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
सीकर।

विषय:- FRA CERTIFICATE जारी करने के लिए मीटिंग का कार्यवाही
विवरण भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि FRA CERTIFICATE जारी करने हेतु दिनांक 17.07.2017 को उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में की गई। जिसमें उपखण्ड अधिकारी सहित तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, विकास अधिकारी पं.स. लक्ष्मणगढ़ एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ उपस्थित थे।

अतः श्रीमानजी की सेवा में बैठक कार्यवाही विवरण, प्रस्ताव एवं FRA CERTIFICATE के फॉरमेट की प्रति पत्र के संलग्न आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

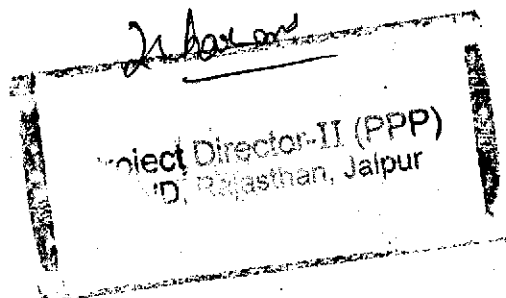
सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)
(उपखण्ड अधिकारी)
एवं उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ जिला-सीकर

क्रमांक:- भूमि अवा./पी.पी.पी.मोड/2017/

दिनांक:-

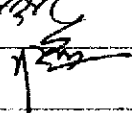
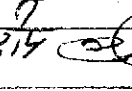
प्रतिलिपि:- श्रीमान जिला वन अधिकारी, सीकर को सूचनार्थ।

सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)
(उपखण्ड अधिकारी)
लक्ष्मणगढ़ जिला-सीकर



बैठक कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जन जाति और अ-प्रत्यक्षगत जनजाती
(वन अधिकारी की मा-यता) आधी नियम, 2006 एवं नियम 2008
के अ-संगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समीत
की बैठक उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ की अध्यक्षता में
दिनांक 17/07/2018 को बैठक आयोजित की गई जिसमें
निम्न लिखित सदस्य उपस्थित हुए

- | | | |
|---------|--|---|
| कुल सं. | उपस्थित सदस्य | हस्ताक्षर |
| 1. | श्री आनंद महल उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ |  |
| 2. | श्री दमा-दु से हिल, लक्ष्मणगढ़ | |
| 3. | श्री सानल दादा, विहाड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ |  |
| 4. | श्री देवेन्द्र सिंह राठौड़ / श्री मदन लाल कुलदास |  |
| | समय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ | |

क्र.सं.	नाम उपखण्ड	कुल क्षेत्रफल	वन संचालन
1.	ग्राम ग्राम झोरा का खसरा नं० 200	4.325	ग्राम झोरा
	का रं 4.325 है वन ग्राम झोरा- रक्षण के सम्बन्ध में कुल रं 53.61 है		

2. वन खण्ड की लक्ष्मणगढ़ का खसरा नं० 1398/1094 का रं 3.90 है वन ग्राम के अन्तर्गत के सम्बन्ध में कुल रं 59.18 है	3.900 है. की लक्ष्मणगढ़
--	-------------------------

3. ग्राम केलारा का खसरा नं० 18 वी/1 का 1.425 है 1.425 है वन ग्राम के अन्तर्गत के सम्बन्ध में कुल रं 46.06 है	केलारा
--	--------

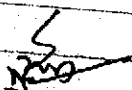
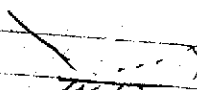
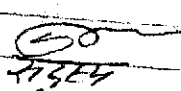
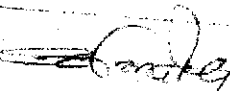
9.6500 है

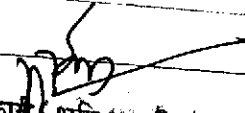
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)
एवं उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

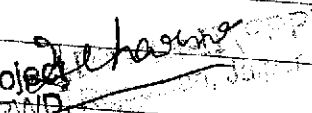
Digitized by
Chandigarh

लक्ष्मणगढ़

4 विचार विमर्श के उपरान्त केंद्र में उक्त कमरा
 नोंगोर - डिडवाना - सालासर - लक्ष्मणगढ़ - मुख-दंगल स्टेट
 हाईवे 82, 82ए, 83 और 8 हेतु ग्राम पुष्पावत न (सड़क
 हेतु) निम्नानुसार निर्माण लिखा गया उपरोक्त विचार
 विमर्श पर पुष्पावत पर विचार विमर्श, वरु निर्माण लिखा
 गया कि उक्त पुष्पावत में वन आदि का गैर वन आदि
 उपयोग में लेने हेतु सुझाव-अवकाश में कोई का आचरण
 की मान्यता में वीणात अनुसूचित जन जाति एवं
 अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई समुह या
 परिवार का कोई दावा प्राप्त नहीं है, कोई दावा
 पुष्पावत या लम्कत नहीं है। पुष्पावत वन आदि
 रक्षित वन पट्टी 82, 82ए, 83 और 8 स्टेट हाईवे सड़क
 पर पुष्पावत समुदाय के लिए भी पुष्पावत नहीं
 होते हैं। अतः पुष्पावत में इस आचरण में
 कोई चारा पुष्पावत नहीं होता है।

 अधीक्षक उपखण्ड आधीक्षक लक्ष्मणगढ़ (सड़क)	 सदस्य लक्ष्मणगढ़ (सड़क)	 सदस्य विद्याल आधीक्षक लक्ष्मणगढ़	 सदस्य लक्ष्मणगढ़
---	---	---	--


 सहाय प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)
 एवं उपखण्ड अधिकारी
 लक्ष्मणगढ़ जिला अधिकारी

Project
 W.D.


कार्यालय ग्राम पंचायत, बलारां पं. त. लक्ष्मणगढ़ (सी)

हेमराज

सरपंच

ग्राम पंचायत, बलारां

तह. लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, मो. 9772002521

प्रेषित :

श्रीमान्

लक्ष्मणगढ़

दिनांक 02/06/21

उन्नापति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम बलारां

438// रकबा 3.11 है तथा रकबा 180// रकबा 4

किताब बजरां वीड में से राष्ट्रीय राजमार्ग 83, 82

नामों पर तरनाक डीडबाना मुकदमा है निर्माण हेतु 2

प्लानबर्न को जारी है तो ग्राम पंचायत बलारां को ईई अ

हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत बलारां
तह. लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर

ग्रामसेवकापदन राशि
ग्राम पंचायत बलारां
तह. लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर

Signature

Object Director, II (PPF)
PWD, Rajasthan, Jaipur

कार्यालय ग्राम पंचायत बादसर

॥ श्री ॥

पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

विजेता शर्मा
सरपंच

मो. 95713164
98281385

क्रमांक ८८२८

कनापती गुणक

दिनांक 1.11.5

सेवा,

राष्ट्रीय वन विभाग
वन विभाग

विषय: - राष्ट्रीय वनभार 83.83.83 A
प्रतिष्ठान को योजना में प्रस्तावित करने के प्रयासों के
प्रतिष्ठान की उपस्थिति विषयान्तरित है कि जंगल के जंगल का इलाका
जंगल- वन क्षेत्र के लिए जंगल के राष्ट्रीय वनभार की वन
के उपस्थिति के उपस्थिति के लिए जंगल प्रस्तावित है कि वन क्षेत्र
के प्रस्तावित करने का जंगल पंचायत में वन क्षेत्र प्रस्तावित
कराया गया है।

प्रतिष्ठान
प्रतिष्ठान BDI-Can.
प्रतिष्ठान वन क्षेत्र
प्रतिष्ठान SDM- 500
प्रतिष्ठान वन क्षेत्र

दिनांक 1951

Signature

विजेता शर्मा
सरपंच
ग्राम पंचायत बादसर
7. स. लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

का
कार्यालय ग्राम पंचायत कार्यालय, ५०८०० लखनऊ

क्र मां ५५

मीमान विकास आधिकारी महोदय
५०८०० लखनऊ

विषय - ग्राम प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव अंगीकार
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि

चाहे गये ग्राम पंचायत बलासंडे राष्ट्रीय राजमार्ग
८२ ८२ए नजारे हरनाऊ डीडवाना मुकाम
है वन ग्राम के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव दायर

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



०२/०६/२०१७

(रामचन्द्र)

ग्रामसेवक/पदेन सचिव
ग्राम पंचायत बलासंडे
५०८०० लखनऊ


Project Defaxim (FFP)
PWD, Jaipur

कार्यालय ग्राम पंचायत बलारां पंचसठ तहसील

दिनांक 02/06/2017

प्रस्ताव प्रतिनिधि (ग्रामसभा दिनांक 13/05)

प्रस्ताव सं. 4 ग्राम बलारां के तहत

438/ रकबा 3.11 हेक्टर तथा रकबा 18

रकबा 46.06 हेक्टर किस्म बजड़ कीड़ में से

राष्ट्रीय राजमार्ग 83, 82, 82ए नागौर तरफ

डीडवाना मुकदगढ़ के निर्माण हेतु भूमि प्रत्यावर्तन

प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया।

सचिव
ग्रामसभा अध्यक्ष
ग्राम पंचायत बलारां
पंचसठ तहसील (सिंदूर)

हेमराज
सरपंच
ग्राम पंचायत बलारां
पंचसठ तहसील (सिंदूर)

निदेशिका (PFP)
S.D. Choudhary, Jodhpur

राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर (राज0)

क्रमांक: राजस्व/2017/2789-82

दिनांक:- 21/7/17

1. उपवन संरक्षक, सीकर।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीकर।
3. श्री मुकेश कुमार मीणा, जिला परिषद सदस्य, मु. पो. राजपुरा तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर 9928102418।
4. श्रीमति बीना वर्मा, जिला परिषद सदस्य, मु. खेरवों की ढाणी पोस्ट झाड़ली तहसील श्रीमधोपुर जिला सीकर, मो. 7734962779।
5. श्री भंवरलाल वर्मा, जिला परिषद सदस्य, मु. तुलसीरामपुरा, पो. गावटी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, मो. 9829395530।

विषय:- स्टेट हाईवे 82, 82A, 83 नागौर तरनाऊ डीडवाना सालासर मुंकन्दगढ़ सड़क व स्टेट हाईवे 20 व 20A सीकर जसवन्तगढ़ सड़क मार्ग में आने वाली वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में।

उपरोक्त विषयक स्टेट हाईवे 82, 82A, 83 नागौर तरनाऊ डीडवाना सालासर मुंकन्दगढ़ सड़क व स्टेट हाईवे 20 व 20A सीकर जसवन्तगढ़ सड़क मार्ग में आने वाली वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अनुसार कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय समिति (ग्रामीण) की मीटिंग दिनांक 25.07.2017 को प्रातः 10 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई है। जिसमें आप उपस्थित होये।

अपर जिला कलेक्टर,
प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा,
कलेक्ट्रेट, सीकर


J. K. Sharma (PPF)
J. K. Sharma, J. K. Sharma

आज किंग 25-1-2008 जिला मजदूर महो की अगुआई में अनुसूचित जनजाति परमरागत अन्न वन निगम (सं. अधिनियम-मान्यता) अधिनियम 2004 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत गठित जिला समिति जिला मुख्यालय में आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए

1. श्री जयप्रकाश SH सीमा
2. श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल SC सीमा
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी सीमा
4. परियोजना निदेशक II पीपीपी, जयपुर
5. श्री. प्रकाश लाल वर्मा जिला परिक्षेत्र अधिकारी
6. श्रीमती कीर्ति वर्मा - जिला परिक्षेत्र अधिकारी

वेड में निम्नांकित एजेन्डे पर विचार विमर्श किया गया जिसमें वन अधिकारी अधिनियम 2004 नियम 2008 में वर्णित कि स्वतंत्र समिति के द्वारा वन निदेशक निदेशानुसार किया गया।

क्रम सं० अनुसूचित जनजाति

संख्या सं०

- (1) नागौर, नरना - लक्ष्मीगढ़ मुकदमा
स्टेट हाई 824, 60.25 ए० 8 में
अन्न बाला की 2505

1. ग्राम भूमा गांव के खजाना 200/2 रकम 4.325 ए०
2. लड़ि लक्ष्मीगढ़ के 200/20/398/1094 रकम 3.90 ए०
3. ग्राम बल्लारा के 200/20/180/1/1 रकम 1.425 ए०

- (2) सीकर जल वनगांव SH 20, 20A
मे आने वाली मुक्ति

1. फरवा सीमा के खजाना 195 रकम

2. ग्राम नंदगांव के खजाना 528/2

रकम 0.75 > 5 ए०

0.75 > 5 ए०

4.1524 ए०

जुम सभा पर 3... निर्देश नमूने 3 जुम सभा पर 3...
 हाईवे के लिए ग्राम युवा बोर्ड के क्रम 2001/2 में 54 पड्डा
 नरसिम्हाय्य के 98 नुमा 338/1004 में 3-90 ई. व ग्राम सभा
 के 10030/180/11, में 1-425 ई. यदि 3-65 ई. यदि
 ने सम्बन्ध में अनुसूचित जन जाति एवं पारम्परिक वनवासी
 के हित अधिकार अधिनियम 2006 दिनांक 2008 के तहत
 उपखण्ड स्तरीय समिति की ^{वर्क} SDD लक्ष्मणराव जी
 अध्यक्षता में दिनांक 24/7/17 को आयोजित की गई। इसके
 अतिरिक्त सीमा जल संचालन से हाईवे के लिए 3-65 ई.
 में उपलब्ध कराई सीमा के क्रम 195 रक 3-3349 ई.
 व ग्राम सभा के क्रम 2005 ई. में 07575 ई. मुल
 4-524 ई. यदि ने सम्बन्ध में अनुसूचित जन जाति
 एवं पारम्परिक वनवासी के हित अधिकार अधिनियम
 2006 दिनांक 2008 के तहत उपखण्ड स्तरीय समिति की
 अध्यक्षता में दिनांक 24/7/17 को आयोजित की गई।
 उपखण्ड अधिकारी सीमा की अध्यक्षता में
 दिनांक 24/7/17 को व उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणराव
 जी अध्यक्षता में दिनांक 24/7/17 में वेब आयोजित
 की गई। जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि अनुसूचित
 जन जाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी अधिकार
 को धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन से ऐसी किमी.
 मुल के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

उक्त प्रस्तावित दोनो प्रकरणों में वन अधिकार
 अधिनियम 2006 दिनांक 2008 के अधिनियम को धारा 14(1) अनु-
 सूचित जन जाति व अन्य वन आजीविका पर
 आधारित कोई समुदाय या ऐसी प्राथमिक मुलक निवास
 दिने इस प्रत्यावर्तन से प्रभावित हो निवास नहीं करते
 व व इनके कोई प्रभाव लक्षित नहीं है प्रस्तावित की गई
 है ऐसी स्थिति में प्रत्यावर्तन होकर कार्य हो सके
 सम्बन्ध से सीमा किता जात है।

तत्पश्चात वेब की कार्यवाही सम्बन्धित सभा पर
 की गई।
 जिला कलेक्टर
 Project Director II (RPF)
 2/10/2017